न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 23/19 (वाद)

1. श्री मिठालाल पिता सवलाल सामोता निवासी खेमपुर तह. मावली, जरिये अधिकार ग्रहिता श्री सम्पत पिता मिठालाल सामोता निवासी खेमपुर तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमपुर तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी।
2. श्री राजपेरोकार मावली।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.09.2019

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश हैं। उक्त वर्णित भूमि मुझ वादी को अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त हुई है और वर्तमान में उक्त कृषि भूमि मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर मुझ वादी के ही शांतिपूर्वक स्वामित्व आधिपत्य में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है और मुझ वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि के पश्चिम दिशा में रास्ते की तरफ अपनी उक्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु करीब 150 फीट लम्बाई व 6 फीट ऊंचाई की पक्की बाउण्ड्रीवाल में रास्ते की तरफ दो लोहे की फाटक भी लगा रखी है जिससे मैं वादी अपनी उक्त कृषि भूमि में निरन्तर निर्बाध रूप से आवागमन करता आ रहा हूं।
2. मुझ वादी की उक्त कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में खेमपुर से लदानी जाने का रास्ता बना हुआ है जो रास्ता वर्तमान में करीब 20 से 25 फीट चौडाई में मौजूद है तथा राजस्व नक्शें में 12 से 13 फीट चौडाई में ही दर्ज हैं। मुझ वादी ने अपनी खातेदारी की कुछ भूमि को रास्ते की तरफ छोडने के बाद अपनी खातेदारी की जमीन पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण करा आवागमन करने के लिए

लोहे की दो फाटके लगवाई है और अपनी कृषि भूमि सीमा के अन्दर ही एक ट्यूबवेल भी खुदवा रखा है जिनका मैं वादी निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। लेकिन प्रतिवादीगण गैरकानुनी तरीके से राजनैतिक दबाव एवं प्रभाव में आकर बिना किसी आधार से मुझ वादी को नुकसान पहुंचाने एवं जलील परेशान करने की बदयान्ति से मुझ वादी की कृषि भूमि में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर तोड फोड कर मुझ वादी की कृषि भूमि को रास्ते की जमीन में मिलाने हेतु उतारू हो रहे हैं। मुझ वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने का मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हमारी मर्जी होगी वैसे करेंगे और कोई बीच में आयेगा तो उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मुकदमें दर्ज करवायेंगे। जबकि मुझ वादी की कृषि भूमि के वहां पर रास्ते की चौडाई 20 से 25 फीट के करीबन है जिससे हर आम एवं खास सुगमता पूर्वक अपने साधनों एवं वाहनों से आवागमन करते आ रहे हैं। फिर भी प्रतिवादीगण अनाधिकार रूप से जबरन मेरे को नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

3. मुझ वादी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा वाले रास्ते पर खेमपुर से लदानी रोड का निर्माण कार्य माह जनवरी 2019 से ही शुरू किया जा चुका है और रास्ते की अपेक्षित चौडाई हेतु पीडब्ल्यूडी द्वारा नियमानुसार जनवरी माह में ही मिट्टी डाल दी गई है और किसी प्रकार से मेरी खातेदारी की जमीन के यहां कोई रास्ता बाधित नहीं हो रहा है और चूंकि राजस्व नक्शें में 12–13 फीट चौडा रास्ता ही है जबकि मौके पर 20 से 25 फीट चौडा रास्ता आज भी मौजुद है और डामरीकरण 10 फीट चौडाई पर ही होना हैं। ऐसी अवस्था में भी प्रतिवादीगण को मुझ वादी की कृषि भूमि में अनाधिकार रूप से प्रवेश करने अथवा तोड फोड करने का कोई वैद्यानिक अधिकार नहीं हैं। यदि मुझ वादी की कृषि भूमि प्रतिवादीगण द्वारा जबरन रास्ते में मिला दी जाती है तो मेरी कृषि भूमि का मुल स्वरूप नष्ट हो जाएगा और भूमि कृषि योग्य नहीं रहेगी, उसकी उरर्वरकता नष्ट हो जायेगी और मैं वादी एवं मेरे परिवारजन कृषि कार्य करने से महरूम हो जावेंगे। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं और मुझ वादी को प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने से रोकने के लिए एवं अपने अधिकारों की रक्षार्थ माननीय न्यायालय आपमें यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है। क्योंकि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि मुझ वादी के खातेदारी एवं कब्जे की है जिस पर मैं वादी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें किसी भी व्यक्ति को दखलन्दाजी करने अथवा नुकसान पहुंचाने का कोई वैद्यानिक अधिकार नहीं हैं। फिर भी प्रतिवादीगण नाजायज तरीके से मुझ वादी की जमीन में प्रवेश कर तोड फोड कर मेरे को नुकसान पहुंचाने एवं मेरी खातेदारी की जमीन को रास्ते में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हुं कि प्रतिवादीगण वाद में वर्णित मुझ वादी के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से तोड फोड नहीं करे, बाउण्ड्रीवॉल नहीं हटावें, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, मेरे कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि का मुझको शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मेरे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति यो नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा से जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।
5. मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व अंतिम बार वाद कारण दिनांक 01.05. 2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने जबरन मुझ वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि पर निर्मित बाउण्ड्रीवॉल, लगी हुई लोहे की फाटक एवं पानी के ट्यूबवेल को ध्वस्त/हटाने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अतः श्रीमान् से विनम्र प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने अधिकारियों, कर्मचारियों के मार्फत वाद में वर्णित मुझ वादी की खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर तोड फोड नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, वादी की कृषि भूमि को रास्ते में नहीं मिलावें और वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, न ही इसमें किसी

प्रकार का अवरोध ही पैदा करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण वादी की भूमि में प्रवेश कर तोड फोड कर देवे और कृषि भूमि को रास्ते में मिला देवे या रास्ता निकाल देवे तो पुनः वाद दायरी की मौके की स्थिति रखाई जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी आधिपत्य की भूमि में अनाधिकृत रूप से तोड फोड व नुकसान नहीं किया जा रहा है व न ही वादी की खातेदारी भूमि को रास्ते में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वादी का वाद निरस्त किया जाने का निवेदन किया।
8. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री सम्पत सामोता का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 व मौका रिपोर्ट प्रदर्श 3 पेश की।
9. प्रकरण में अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।
10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम पर दर्ज हैं। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादी की आराजी सं. 464 के पश्चिम दिशा में रास्ते की तरफ सुरक्षा हेतु 150 फीट लम्बाई एवं 6 फीट ऊंचाई की पक्की बाउण्ड्रीवॉल बना रखी हैं। पश्चिम दिशा में जो रास्ता मौजूद है वह वर्तमान में 20 से 25 फीट चौडाई में होना बताया हैं। जो राजस्व नक्शें में 12 से 13 फीट चौडाई में ही दर्ज हैं। प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि को रास्ते में मिलाने से यह वाद प्रस्तुत किया हैं। हमने तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी नम्बर 432 रास्ता होकर राजस्व नक्शें में 2.5 गट्टे (औसत) मौके पर मौजूद होकर बाधित नहीं हैं। वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। जिसमें वादग्रस्त भूमि

का वादी खातेदार हैं। प्रतिवादी खातेदार नहीं हैं। वादी द्वारा जिस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी जबरन वादी की आराजीयात को रास्ते में मिलाने पर उतारू है जबकि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ऐसा करने का भी प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर रास्ता मौजूद होकर बाधित नहीं हैं। अतः वादी खातेदार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। वादी की खातेदारी में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मिठालाल पिता सवलाल सामोता निवासी खेमपुर तह. मावली, जरिये अधिकार ग्रहिता श्री सम्पत पिता मिठालाल सामोता निवासी खेमपुर तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमपुर तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 23/19 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। वादी की खातेदारी में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.09.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली